


उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,  
मक्सी रोड प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन

मेस संचालन हेतु ई- निविदा सूचना



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित


मक्सी रोड प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन- 456010

दूरभाष - 0734-2527061, 2527068, <sup>3</sup>2527066

फेक्स नं.- 0734-2527063

E-mail: [Ujjaindairy@gmail.com](mailto:Ujjaindairy@gmail.com),

[usdstc@gmail.com](mailto:usdstc@gmail.com)

  
ANPD/Pur/2023









# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित



मकसी रोड, उज्जैन 456010 (म.प्र.)

फोन नं. (0734) 2527061, 2527068, 2527066

फेक्स नं. 0734- 2527063

E-mail: [ujjaindairy@gmail.com](mailto:ujjaindairy@gmail.com), [usdstc@gmail.com](mailto:usdstc@gmail.com)

क्रमांक: उ.दु.सं./क्षे.सं./प्र.के./ई-निविदा/2022/3861

उज्जैन दिनांक: 21/09/22

## दुग्ध संघ प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन पर मेस संचालन हेतु ई-निविदा सूचना

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन द्वारा प्रतिष्ठित अनुभवी फर्मों से प्रशिक्षण केन्द्र के मेस संचालन हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र निर्धारित मूल्य राशि 500.00 ऑनलाईन जमाकर मध्यप्रदेश ई-टेंडर की वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> से दिनांक 23.9.22 से क्रय की जा सकती हैं निविदा संबंधित विस्तृत विवरण एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की वेबसाइट [www.sanchidairy.com/www.sanchiujjain.com](http://www.sanchidairy.com/www.sanchiujjain.com) पर देखा एवं पढ़ा जा सकता है। निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम तिथि 13/10/22 समय 11.30 बजे तक है। एक अथवा समस्त निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना केवल ऑनलाईन जारी की जायेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 500/-

-: निविदा कार्यक्रम :-

- उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के प्रशिक्षण केन्द्र में स्थित मेस के संचालन हेतु ई-निविदा
- ई-निविदा क्रय हेतु प्रारंभ दिनांक एवं समय : 23/9/22 11.00 A.M.
- ई-निविदा क्रय एवं जमा हेतु अंतिम दिनांक एवं समय : 13/10/22 11.30 A.M.
- तकनीकी ई-निविदा खोले जाने की दिनांक एवं समय : 14/10/22 12.00 P.M.

• पत्राचार हेतु पता:-

: उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित  
मक्सी रोड उज्जैन  
उज्जैन- 456010 (म.प्र.)

अन्य विवरण

- (अ) धरोहर राशि (EMD) – online Rs. 10,000.00 जमा करें।  
(ब) तकनीकी बिड – online अपलोड करें।  
(स) दर प्रपत्र (Price Bid) – online प्रस्तुत करें।

- तकनीकी अर्हताए – प्रपत्र क्रमांक 01
- मेस संचालन हेतु निविदा शर्तें – प्रपत्र क्रमांक 02
- शपथ पत्र – प्रपत्र क्रमांक 03
- अनुबंध पत्र – प्रपत्र क्रमांक 04
- भोज्य आहार विवरण – प्रपत्र क्रमांक 05
- भावपत्रक – प्रपत्र क्रमांक 06

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

## तकनीकी निविदा के संबंध में दस्तावेजों को जमा करने हेतु निविदाकारों के लिये दिशा निर्देश-

तकनीकी बिड अंतर्गत दुग्ध संघ द्वारा निविदाकारों से अनिवार्यतः वांछित प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची प्रपत्र क्रमांक 01 में दिये गये अनुसार है। निविदाकार द्वारा वांछित दस्तावेजों में से किन किन दस्तावेजों को संलग्न किया गया है का उल्लेख करते हुये प्रपत्र क्रमांक 01 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या., उज्जैन को संबोधित पत्र, हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा।

1. तकनीकी अर्हता क्रमांक 10 हेतु शपथ पत्र संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कृपया प्रपत्र क्रमांक 01 का अवलोकन करें।
2. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी अर्हतायें से संबंधित समस्त दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से किया जा सकता है।
3. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी भागीदारों के हस्ताक्षर आवश्यक होना चाहिए या किसी भागीदारी की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्याार नामा है। इस प्रकार संबंधित प्रतिनिधि भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पर ऑन-लाइन अपलोड करना होगा।
4. बिना हस्ताक्षर अथवा अपूर्ण जानकारी वाली निविदाओं को निविदा प्रक्रिया से बाहर रखा जावेगा।
5. (i) निविदा के साथ रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) प्रतिभूति राशि ऑन लाईन जमा करना होगी। ऑन लाईन जमा की गई प्रतिभूति राशि रुपये 10,000/- की मूल रसीद की स्केन कर प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी अन्यथा निविदा निरस्त की जावेगी।  
(ii) सुरक्षा निधि अनुबंध मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर होगी, जो कि अनुबंध पत्र के साथ जमा करनी होगी।
6. निविदाकार को ऑनलाईन जमा की गई EMD राशि की पावती, निविदा की समस्त शर्तों पर सहमति दर्शाते हुये सील सहित हस्ताक्षर युक्त प्रति, तथा प्रपत्र क्रमांक 01 तकनीकी अर्हतायें में विवरण अंकित करते हुये उसकी सत्यापित प्रति की स्केन कॉपी एवं भाव पत्र (प्रपत्र क्रमांक 06) ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदा प्रपत्रों में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी इसलिए अपनी शर्तों का उल्लेख निविदा प्रपत्रों में नहीं करें।
8. तकनीकी अर्हताओं के परीक्षण उपरांत समस्त अर्हता रखने वाले निविदाकर्ताओं की ही दरें ऑनलाईन खोली जायेंगी।
9. कार्यानुभव की पुष्टि करने हेतु कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्रों को आधार माना जायेगा।
10. निविदाकार को प्रपत्र क्रमांक 01 में दर्शाये गये तकनीकी अर्हताओं से संबंधित दस्तावेजों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होगा।
11. निविदा प्रपत्रों में दी गई जानकारी में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवंटित ठेका निरस्त कर प्रतिभूति राशि (Earnest Money) जप्त की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,





प्रपत्र 01

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन

मक्सी रोड प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

उज्जैन (म.प्र.)

महोदय,

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के प्रशिक्षण केन्द्र में स्थित मेस का संचालन करने हेतु दिनांक 23/9/22 को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापित के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढकर समझ लिए गए हैं। यदि मेरे निविदा स्वीकृत की जाती हैं तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार मेस संचालन करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा प्रतिभूति राशि (Earnest Money) रुपये 10,000/- (रु. दस हजार) को Online जमा कर पावती एवं तकनीकी अर्हताये के लिए प्रमाण के तौर पर वांछित दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड कर रहा हूँ।

अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें

क्र.	आवश्यक तकनीकी अर्हता	अनिवार्यतः अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है अथवा नहीं अंकित करें
1	निविदाकर्ता का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र की छायाप्रति।	है/नहीं
2	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड की छायाप्रति।	है/नहीं
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षकर्ता का नाम	संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।	है/नहीं
4	निविदाकर्ता को ऐसे संस्थान में जहां कम से कम 50 कर्मचारी कार्यरत हों अथवा शैक्षणिक संस्थान में जहां कम से कम 20 विद्यार्थी अध्ययनरत हों, में कैंटीन संचालन का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।	कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।	है/नहीं
5	निविदाकर्ता के पास भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.आई) द्वारा जारी लायसेंस होना अनिवार्य है। उक्त	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन प्राप्त नवीनीकृत	है/नहीं

*(Handwritten signatures and marks)*

	लायसेंस हेतु आवेदन की प्रति मान्य की जा सकेगी।	लायसेंस की छायाप्रति।	
6	निविदाकर्ता का पेन कार्ड, आधार कार्ड होना अनिवार्य है।	पेन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति।	है/नहीं
7	बैंक का नाम, खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस. सी. कोड	बैंक पासबुक/केन्सिलड चैक की छायाप्रति।	है/नहीं
8	वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण।	आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की प्रति।	है/नहीं
9	क्या निविदाकर्ता का उज्जैन शहर में कार्यालय है।	यदि हों, तो पूर्ण पते का उल्लेख करें।	है/नहीं
10	क्या किसी शासकीय संस्था/एम.पी.सी.डी. एफ/दुग्ध संघ द्वारा आपकी संस्था को काली सूची में नामांकित किया गया है?	यदि काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है, तो इस आशय का नोटरी से सत्यापित स्वयं द्वारा दिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (राशि रू 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर)।	है/नहीं

मैंने निविदा आमंत्रण सूचना एवं अनिवार्य तकनीकी अर्हतायें के संबंध में दस्तावेजों को अपलोड कराने हेतु दिये गये दिशा निर्देश, पूर्णतः पढ़ लिये एवं समझ लिये हैं और उस में दिये गये निर्देश के अनुसार ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहा हूँ।

निविदाकार का हस्ताक्षर मय सील

स्थान:-

नाम :-

दिनांक :-

पत्राचार हेतु पता:-.....

दूरभाष/मो.नं. :- .....







# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन

## मक्सी रोड प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन

### :: मेस संचालन हेतु निविदा की शर्तें ::

1	निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह मान लिया जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिए दी गयी निविदा की शर्तें/अनुबंध आदि का अवलोकन निविदाकार द्वारा कर लिया गया है, तथा मेस संचालन की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है तथा उसे स्वीकृत है।
2	मेस ठेका आदेश/अनुबंध निष्पादन दिनांक से तीन वर्ष तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा। निविदा अवधि पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि एक-एक करके पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी।
3	निविदाकार को ई-निविदा पोर्टल पर प्रतिभूति राशि (Earnest Money) रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है। बिना प्रतिभूति राशि के प्रस्तुत निविदाओं को अमान्य किया जावेगा। National Small Scale Industries Corporation से पंजीकृत फर्मों सहित अन्य किसी भी प्रकार के शासकीय संस्थाओं से अनुशंसित किसी भी निविदाकार को प्रतिभूति राशि जमा करने के संबंध में छूट नहीं दी जावेगी। प्रतिभूति राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। निविदा अस्वीकृत होने पर असफल निविदाकारों की प्रतिभूति राशि दो माह की समय सीमा में वापस की जावेगी।
4	निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार अर्थात मेस ठेकेदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि (Earnest Money) रूपये 20,000/- (रु बीस हजार मात्र) को ठेका आवंटन के पश्चात सुरक्षा निधि (Security Deposit) के मद में समायोजित किया जावेगा। सुरक्षा निधि (Security Deposit) ठेका समाप्त होने के पश्चात मेस ठेकेदार द्वारा दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र की समस्त शाखाओं से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने की स्थिति में ही वापस की जावेगी। जमा सुरक्षा निधि (Security Deposit) पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5	निविदाकर्ता को ऐसे संस्थान में जहां कम से कम 20 कर्मचारी कार्यरत हों अथवा शैक्षणिक संस्थान में जहां कम से कम 20 विद्यार्थी अध्ययनरत हों, में मेस संचालन का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। वांछित अनुभव न रखने वाले निविदाकर्ता की निविदा निरस्त समझी जावेगी। इस हेतु निविदाकर्ता को कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगी।
6	निविदाकर्ता को आयकर का पैन नं. देना अनिवार्य होगा।
7	नगर पालिका/नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, श्रम विभाग, विक्रय विभाग आदि से संबंधित जो भी लायसेंस/परमिट इत्यादि प्राप्त करना होगा उसकी समस्त जिम्मेदारी मेस ठेकेदार की होगी। साथ ही समस्त आवश्यक लायसेंस/परमिट की छायाप्रति ठेकेदार को दुग्ध संघ कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त विभाग के अधिकारी कभी भी मेस का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसके लिए भी ठेकेदार जिम्मेदार होगा। यदि उन्होंने ठेकेदार के द्वारा नियम पालन नहीं करने की विपरीत टीप से प्रबंधन को अवगत कराया जाता है, तो श्रम अधिनियमों के अंतर्गत दंड आदि की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। यदि विपरीत टीप गंभीर प्रवृत्ति की दी जाती है, तो ठेका तत्काल में निरस्त किया जाने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।
8	निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल संबंधित निविदाकर्ता को स्वयं के खर्च से अनुबंध पत्र हेतु रूपये 1,000/- (रु हजार मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा एवं कार्य प्रारंभ से पूर्व अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर करने होंगे। निर्धारित अवधि तक अनुबंध निष्पादन नहीं होने पर

	निविदा में चयन स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा जमा प्रतिभूति राशि जप्त हो जायेगी। अनुबंध का प्रारूप प्रपत्र 04 पर संलग्न है।
9	मेस ठेकेदार को स्वयं के बर्तन, गैस चूल्हा एवं अन्य आवश्यक सामान की व्यवस्था करनी होगी एवं खाद्य सामग्री के निर्माण में गैस का ही प्रयोग किया जायेगा।
10	मेस ठेके की अवधि में पानी व बिजली का व्यय उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा वहन किया जावेगा। परंतु मेस ठेकेदार बिजली के हीटर/रूम हीटर का उपयोग नहीं करेगा। हीटर/रूम हीटर का उपयोग करते हुए पाये जाने पर प्रत्येक प्रकरण में रू. 10000/- अर्थदण्ड किया जावेगा।
11	मेस भवन में फर्नीचर की व्यवस्था उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी परंतु उसकी देख रेख ठेकेदार द्वारा की जावेगी। फर्नीचर को यदि कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा उसकी भरपाई ठेकेदार से की जावेगी।
12	मेस ठेकेदार को स्वयं मेस में काम करने वाले श्रमिकों की सम्पूर्ण जानकारी यथा नाम, पता एवं फोटे सहित प्रमाणित कर दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी।
13	मेस ठेकेदार द्वारा यदि मेस में कार्य करने वाले श्रमिकों की बदली करता है तो इसकी पूर्व सूचना दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी।
14	खाने-पीने की वस्तुओं एवं बैठने इत्यादि के स्थान को पूर्णतः साफ-सफाई के साथ व्यवस्थित करने की जिम्मेदार मेस ठेकेदार की होगी। इस हेतु ठेकेदार को प्रत्येक पाली में सफाईकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगी।
15	उज्जैन दुग्ध संघ प्रशिक्षण केन्द्र पर नियमित प्रशिक्षण संचालित किया जाता है। अतः मेस ठेकेदार को मेस परिसर में 24 घंटे चाय एवं नाश्ते की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। अवकाश के दिवसों में भी मेस का संचालन नियमित रहेगा।
16	खाद्य पदार्थों एवं मेस की व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन स्वतंत्र है। मेस में असंतोषजनक खाद्य पदार्थ/खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता निम्न स्तर के पाये जाने की स्थिति में उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार हागे कि वह खाद्य सामग्री को नष्ट करवाने की कार्यवाही करते हुए ठेकेदार पर रूपये 5000/- का जुर्माना भी कर सकेगा। मेस में अव्यवस्था पाये जाने, गंदगी पाये जाने, मसे ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाने की स्थिति में उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार पर रूपये 5000/- का जुर्माना कर सकेगा। यदि मेस ठेकेदार द्वारा लगातार उपरोक्त कृत्यों की पुनरावृत्ति की जाती है तथा अपने कार्य एवं व्यवहार में सुधार नहीं लाया जाता है, तो उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि मेस ठेका तत्काल बगैर नोटिस दिये निरस्त कर दे तथा सुरक्षा निधि राशि जब्त कर ले।
17	मेस ठेकेदार को समस्त श्रम अधिनियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। मेस में रखे जाने वाले श्रमिकों की उम्र 18 वर्ष से कम 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
18	उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार मेस ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जांच करवानी होगी तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो बार (प्रत्येक छः माह में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी। ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को छूत या कोरोना की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकेगा।
19	मेस ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के श्रमिक कार्य पर रखने होंगे। उनके उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरुद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई श्रमिक डेरी संयंत्र/कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लड़ाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो ठेकेदार को ऐसे श्रमिक तत्काल हटाना होंगे। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा




	पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति श्रमिक राशि रुपये 1000/- तक अर्थदण्ड ठेकेदार पर अधिरोपित किया जा सकेगा।
20	मेस ठेकेदार अथवा उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन एक माह की लिखित पूर्व सूचना के आधार पर अनुबंध समाप्त कर सकेगा। ठेकेदार द्वारा लिखित में सूचना नहीं दिये जाने की स्थिति में उज्जैन दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा कि वह सुरक्षा निधि को जप्त कर सकेगा।
21	अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में मेस ठेकेदार से यदि कोई सामग्री, धनराशि, आर्थिक दण्ड एवं किसी भी प्रकार की वसूली शेष रहती है, तो उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह उक्त राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि राशि में कटौती कर शेष राशि ठेकेदार को वापस करेगा। मेस ठेका निरस्त किये जाने की स्थिति में सुरक्षा निधि राशि जप्त कर ली जावेगी।
22	मेस ठेकेदार द्वारा यदि अपने उत्पादों की बिक्री के लिये उधारी दी जाती है तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
23	मेस ठेकेदार द्वारा सामग्री का विक्रय पूर्व स्वीकृत दरों पर ही किया जावेगा।
24	मेस ठेकेदार द्वारा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ में उत्पादित वस्तुओं का विक्रय मेस में नहीं किया जायेगा।
25	मेस ठेकेदार को मेस संचालन हेतु विशेष रूप से निम्न शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करना होगा— <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मेस ठेकेदार को निविदा प्रपत्र में वर्णित सूची (प्रपत्र-05) के अनुसार ही भोज्य सामग्रियां, प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। सूची के अनुसार भोज्य सामग्रियां उपलब्ध नहीं कराने पर मेस ठेकेदार के देयक से राशि रुपये 1000/- प्रतिदिन की दर से कटौती किया जावेगा।</li> <li>2. मेस ठेकेदार को स्वयं से अथवा मेस में कार्यरत श्रमिकों से मिलने वाले कोई व्यक्ति आता है तो इसकी सूचना हॉस्टल वार्डन को देना होगा।</li> <li>3. मेस ठेकेदार एवं मेस में कार्य करने वाले श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य कोई बाहरी व्यक्ति मेस परिसर में पाया जाता है तो उसके खिलाफ दुग्ध संघ वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी मेस ठेकेदार की होगी।</li> <li>4. मेस ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिसर में रात्रि के समय, दो ही श्रमिक रुकें।</li> <li>5. मेस ठेकेदार को रुम सर्विस के लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा एवं आवश्यकतानुसार उक्त सुविधा देनी होगी।</li> <li>6. प्रशिक्षण के दौरान मेस बंद होने की स्थिति में दुग्ध संघ को मेस ठेकेदार के देयकों से राशि रु 1000/- प्रतिदिन का अर्थदण्ड एवं वैकल्पिक व्यवस्था में व्यय हुई अतिरिक्त राशि का कटौती करने का अधिकार होगा।</li> <li>7. प्रत्येक सत्र समाप्ति के दिन प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण एवं मेस व्यवस्था के सम्बंध में फीड बैक लिया जाता है, नियमानुकूल फीड बैक के आधार पर प्रशिक्षण के आगामी सत्रों में सुधार किया जाता है। इसी संदर्भ में मेस व्यवस्था बावत् प्राप्त फीड बैक के आधार पर आगामी सत्रों में मेस ठेकेदार को आवश्यक सुधार करना होगा, अन्यथा अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।</li> </ol>
26	यदि एक से अधिक निविदाकर्ताओं द्वारा एक समान दरें प्रस्तुत की जाती हैं, तो ठेका आवंटन हेतु लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा। लॉटरी के समय निविदाकर्ता/उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
27	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र में कार्यरत संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों, दुग्ध संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों/ उनके परिजनों को मेस ठेका प्रदान नहीं किया जावेगा।
28	भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोड़ा जा सकता। यदि परिस्थितियों नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में एक माह की पूर्व

	सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
29	भाव दरें खोलने के पश्चात यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत हों और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
30	एक अथवा समस्त निविदाओं को आंशिक अथवा पूर्णतः स्वीकार अथवा अस्वीकार का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा।
31	किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
32	किसी भी वाद-विवाद की सुनवाई उज्जैन न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी।
33	निविदा स्वीकृति होने के तत्काल संबंधित निविदाकर्ता को fssai नियमानुसार लाईसेंस लेना एवं उनकी शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त शर्त क्रमांक 1 से 32 तक सभी शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए निर्धारित प्रपत्र 06 में भाव दर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

स्थान:-	हस्ताक्षर
दिनांक:-	नाम:-
	वर्तमान पता:-
	स्थायी निवास का पता:-
	फोन नं.
	मोबाईल नं.



तकनीकी अर्हता के संबंध में राशि रू 100/- के गैर न्यायालयीन स्टाम्प पर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ - पत्र का प्रारूप)

### शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता (फर्म का नाम).....(पता)..... (पंजीयन क्रमांक).....

शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि:-

1. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म..... है, जिसका कि मैं शपथकर्ता हूँ।
2. यह कि, मुझ शपथकर्ता की फर्म .....को किसी शासकी संस्था / एम.पी.सी.डी.एफ / दुग्ध संघ द्वारा काली सूची में नामांकित नहीं किया गया है।
3. यह कि, उपरोक्त तथ्यों की सत्यता में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान:.....

दिनांक: .....

हस्ताक्षर शपथकर्ता

### सत्यापन

मैं (नाम).....(आयु).....(पता).....शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पद क्रमांक 1 लगायत 3 में वर्णित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर सत्य व सही हैं। इसमें कुछ भी असत्य वर्णित नहीं किया गया है और न ही कुछ छुपाया गया है।

स्थान: .....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

Four handwritten signatures in blue ink are visible. The first is a cursive signature, the second is a stylized signature, the third is a signature with a vertical line, and the fourth is a signature with a horizontal line.

(रूपये 1000/- के नान् ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर)

**:: अनुबंध पत्र ::**

आज दिनांक \_\_\_\_\_ को यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन जो इस अनुबंध में प्रथम पक्ष कहलायेंगे तथा मेसर्स \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_, जो कि अनुबंध में द्वितीय पक्ष कहलायेंगे, के मध्य उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा तीन वर्ष के लिए ठेके पर मुख्य डेयरी संयंत्र परिसर में स्थित कैंटीन तथा प्रशिक्षण केन्द्र परिसर में स्थित मेस का संचालन करने हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा मेस ठेकेदार के रूप में कार्य करने के लिये यह अनुबंध निम्न शर्तों पर निष्पादित किया जाता है :-

**:: मेस संचालन हेतु अनुबंध की शर्तें ::**

1	मेस ठेका आदेश/अनुबंध निष्पादन दिनांक से तीन वर्ष तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा। निविदा अवधि पूर्ण होने पर व कार्य संतोषप्रद होने पर अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि एक-एक करके पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी।
2	नगर पालिका/नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, श्रम विभाग, विक्रय विभाग आदि से संबंधित जो भी लायसेंस/परमिट इत्यादि प्राप्त करना होगा उसकी समस्त जिम्मेदारी मेस ठेकेदार की होगी। साथ ही समस्त आवश्यक लायसेंस/परमिट की छायाप्रति ठेकेदार को दुग्ध संघ कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त विभाग के अधिकारी कभी भी मेस का निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिए भी ठेकेदार जिम्मेदार होगा। यदि उन्होंने ठेकेदार के द्वारा नियम पालन नहीं करने की विपरीत टीप से प्रबंधन को अवगत कराया जाता है, तो श्रम अधिनियमों के अंतर्गत दंड आदि की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। यदि विपरीत टीप गंभीर प्रवृत्ति की दी जाती है, तो ठेका तत्काल में निरस्त किया जाने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।
3	मेस ठेकेदार को स्वयं के बर्तन, गैस चूल्हा एवं अन्य आवश्यक सामान की व्यवस्था करनी होगी एवं खाद्य सामग्री के निर्माण में गैस का ही प्रयोग किया जायेगा।
4	मेस ठेके की अवधि में पानी व बिजली का व्यय उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा वहन किया जावेगा। परंतु कैंटीन ठेकेदार बिजली के हीटर/रूम हीटर का उपयोग नहीं करेगा। हीटर/रूम हीटर का उपयोग करते हुए पाये जाने पर प्रत्येक प्रकरण में रु. 10000/- अर्थदण्ड किया जावेगा।
5	मेस भवन में फर्नीचर की व्यवस्था उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी परंतु उसकी देख रेख ठेकेदार द्वारा की जावेगी। फर्नीचर को यदि कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा उसकी भरपाई ठेकेदार से की जावेगी।
6	मेस ठेकेदार को स्वयं मेस में काम करने वाले श्रमिकों की सम्पूर्ण जानकारी यथा नाम, पता एवं फोटे सहित प्रमाणित कर दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी।
7	मेस ठेकेदार द्वारा यदि मेस में कार्य करने वाले श्रमिकों की बदली करता है तो इसकी पूर्व सूचना दुग्ध संघ को उपलब्ध कराना होगी।
8	खाने-पीने की वस्तुओं एवं बैठने इत्यादि के स्थान को पूर्णतः साफ-सफाई के साथ व्यवस्थित करने की जिम्मेदार मेस ठेकेदार की होगी। इस हेतु ठेकेदार को प्रत्येक पाली में सफाईकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगी।
9	उज्जैन दुग्ध संघ के प्रशिक्षण केन्द्र पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाता है। अतः मेस ठेकेदार को मेस परिसर में 24 घटें चाय एवं नाश्ते, भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। अवकाश के दिवसों में भी चाय एवं नाश्ते, भोजन की व्यवस्था करनी होगी।
10	खाद्य पदार्थों एवं मेस की व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन

	स्वतंत्र है। मेस में असंतोषजनक खाद्य पदार्थ/खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता निम्न स्तर के पाये जाने की स्थिति में उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार हागो कि वह खाद्य सामग्री को नष्ट करवाने की कार्यवाही करते हुए ठेकेदार पर रूपये 5000/- का जुर्माना भी कर सकेगा। मेस में अव्यवस्था पाये जाने, गंदगी पाये जाने, मसे ठेकेदार या उसके श्रमिकों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाने की स्थिति में उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार हागो कि वह ठेकेदार पर रूपये 5000/- का जुर्माना कर सकेगा। यदि मेस ठेकेदार द्वारा लगातार उपरावेत कृत्यों की पुनरावृत्ति की जाती है तथा अपने कार्य एवं व्यवहार में सुधार नहीं लाया जाता है, तो उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार हागो कि मेस ठेका तत्काल बगैर नोटिस दिये निरस्त कर दे तथा सुरक्षा निधि राशि जब्त कर ले।
11	मेस ठेकेदार को समस्त श्रम अधिनियमों का पालन सुनिश्चित करना हागो। मेस में रखे जाने वाले श्रमिकों की उम्र 18 वर्ष से कम 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12	मेस ठेकेदार को अपने श्रमिकों को उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निश्चित की गई रंग की दो गणवेश स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना हागी। यदि श्रमिक निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो मेस ठेकेदार से रु. 1000/- प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर वसूल किया जावेगा।
13	मेस ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न्यूनतम वेतन की दरों के अनुसार करना हागो। समय समय पर शासन द्वारा न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई जाने पर मेस ठेकेदार को तदानुसार श्रमिकों की मजदूरी का पूर्ण भुगतान करना हागो।
14	मेस में कार्यरत, मेस ठेकेदार के कर्मचारियों को सभी प्रकार के भुगतान जैसे कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा योजना आदि के भुगतान की जबाबदारी मेस ठेकेदार की हागी।
15	सफल निविदाकार अर्थात् मेस ठेकेदार को उसकी निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दस दिवस की अवधि में उनके समस्त कर्मचारियों की, जो उसके द्वारा नियोजित किये गये हैं, के लिये वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत बीमा कम्पनी से प्रति कर्मचारी रु. 1,00,000/- की दुर्घटना समूह बीमा पॉलिसी लेना हागी तथा इसकी एक प्रति अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करनी हागी। ऐसी पॉलिसी संपूर्ण ठेके की अवधि तक प्रभावशील/वैध होना जरूरी है। ठेका अवधि में वृद्धि होने पर पालिसी का नवीनीकरण तुरंत करना हागो। इस हेतु बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की प्रतिपूर्ति दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी। यदि कार्य करते समय मेस ठेकेदार के किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाय तो ऐसी परिस्थिति में वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट के अंतर्गत देय मुआवजों एवं अन्य दावों, खर्चों आदि का पूर्ण खर्च मेस ठेकेदार को देना हागो। इस संबंध में प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं हागी।
16	उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार मेस ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जांच करवानी हागी तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हागो। कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो बार (प्रत्येक छः माह में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक हागो तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक हागी। ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को छूत या कोरोना की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत हाता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी हांगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड भी लगाया जा सकेगा।
17	मेस ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के श्रमिक कार्य पर रखने हांगे। उनके उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरुद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई श्रमिक डेरी संयंत्र/कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लडाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो ठेकेदार को ऐसे श्रमिक तत्काल हटाना हांगे। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना हागो कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की हागी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति श्रमिक राशि रूपये 1000/- तक अर्थदण्ड ठेकेदार पर अधिरोपित किया जा सकेगा।
18	मेस ठेकेदार के श्रमिकों का किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित

	रहेगा। वे दुग्ध संघ के विरुद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। यदि कोई श्रमिक कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या संघ के विरुद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयंत्र को बंद कराता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये श्रमिक को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति श्रमिक रुपये 1000/- तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा, जिसकी वसूली ठेकेदार से की जा सकेगी।
19	मेस ठेकेदार अथवा उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन एक माह की लिखित पूर्व सूचना के आधार पर अनुबंध समाप्त कर सकेगा। ठेकेदार द्वारा लिखित में सूचना नहीं दिये जाने की स्थिति में उज्जैन दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा कि वह सुरक्षा निधि को जप्त कर सकेगा।
20	अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में मेस ठेकेदार से यदि कोई सामग्री, धनराशि, आर्थिक दण्ड एवं किसी भी प्रकार की वसूली शेष रहती है, तो उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह उक्त राशि ठेकेदार की सुरक्षा निधि राशि में कटौती कर शेष राशि ठेकेदार को वापस करेगा। मेस ठेका निरस्त किये जाने की स्थिति में सुरक्षा निधि राशि जप्त कर ली जावेगी।
21	मेस ठेकेदार द्वारा यदि अपने उत्पादों की बिक्री के लिये उधारी दी जाती है तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
22	मेस ठेकेदार द्वारा सामग्री का विक्रय पूर्व स्वीकृत दरों पर ही किया जावेगा।
23	मेस ठेकेदार द्वारा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ में उत्पादित वस्तुओं का विक्रय मेस में नहीं किया जायेगा।
24	मेस ठेकेदार को मेस संचालन हेतु विशेष रूप से निम्न शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करना होगा— 1. मेस ठेकेदार को निविदा प्रपत्र में वर्णित सूची (प्रपत्र-05) के अनुसार ही भोज्य सामग्रियां, प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। सूची के अनुसार भोज्य सामग्रियां उपलब्ध नहीं कराने पर मेस ठेकेदार के देयक से राशि रुपये 1000/- प्रतिदिन की दर से कटौती किया जावेगा। 2. मेस ठेकेदार को स्वयं से अथवा मेस में कार्यरत श्रमिकों से मिलने वाले कोई व्यक्ति आता है तो इसकी सूचना हॉस्टल वार्डन को देना होगा। 3. मेस ठेकेदार एवं मेस में कार्य करने वाले श्रमिकों के अतिरिक्त अन्य कोई बाहरी व्यक्ति मेस परिसर में पाया जाता है तो उसके खिलाफ दुग्ध संघ वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी मेस ठेकेदार की होगी। 4. मेस ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिसर में रात्रि के समय, दो ही श्रमिक रुकें। 5. मेस ठेकेदार को रुम सर्विस के लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा एवं आवश्यकतानुसार उक्त सुविधा देनी होगी। 6. प्रशिक्षण के दौरान मेस बंद होने की स्थिति में दुग्ध संघ को मेस ठेकेदार के देयकों से राशि रु 1000/- प्रतिदिन का अर्थदण्ड एवं वैकल्पिक व्यवस्था में व्यय हुई अतिरिक्त राशि का कटौती करने का अधिकार होगा। 7. प्रत्येक सत्र समाप्ति के दिन प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण एवं मेस व्यवस्था के सम्बंध में फीड बैक लिया जाता है, नियमानुकूल फीड बैक के आधार पर प्रशिक्षण के आगामी सत्रों में सुधार किया जाता है। इसी संदर्भ में मेस व्यवस्था बावत् प्राप्त फीड बैक के आधार पर आगामी सत्रों में मेस ठेकेदार को आवश्यक सुधार करना होंगे, अन्यथा अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
25	भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोड़ा जा सकता है। यदि परिस्थितियों नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में एक माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
26	किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित 11 होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में "आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

27 | किसी भी वाद-विवाद की सुनवाई उज्जैन न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी।

उपरोक्त समस्त शर्तें मैंने पढ़ी और समझी हैं। उक्त समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए अनुबंध निष्पादित कर रहा हूँ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन	हस्ताक्षर मेस ठेकेदार
स्थान -	नाम -
दिनांक -	
1. गवाह का नाम एवं पता .....	उज्जैन कार्यालय का पता, दूरभाष, मोबाइल एवं फैक्स/ई-मेल .....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
2. गवाह का नाम एवं पता .....	
.....	
.....	



## भोज्य आहार का विवरण (प्रतिदिन/प्रति व्यक्ति)

क्र	विवरण	समय	आहार विवरण प्रति प्रशिक्षणार्थी
1.	नाश्ता	प्रातः 8.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक	1-दो समोसे या दो कचौड़ी या दो आलू बडे या ब्रेड पकोडा (वजन 120 ग्राम) एवं जलेबी (वजन 50 ग्राम)  अथवा 2- एक प्लेट पोहा (वजन 100 ग्राम) साथ में नमकीन सेव (वजन 20 ग्राम) एक चौथाई नीबू की फाक एवं जलेबी (वजन 50 ग्राम)  अथवा 3- दो पराठे (आलू/मेथी/गोभी/मूली के (वजन 120 ग्राम) एवं दही (वजन 100 ग्राम नमकीन /मीठा)  अथवा 4- पूड़ी व सब्जी (वजन 120 ग्राम) एवं मीठा (वजन 50 ग्राम) नोट :- नाश्ता प्रतिदिन बदल-बदल कर देना अनिवार्य होगा।
2.	भोजन भरपेट दोपहर एवं रात्रि का	दोपहर 1.30 बजे से दापेहर 2.30 बजे तक सायं 7.30 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक	एक दाल फाई, एक सब्जी, चावल, रोटी, अचार एवं सलाद। (सलाद एवं सब्जियां मौसम के अनुसार देना होगा)
3.	चाय बेड टी नाश्ते के बाद चाय क्लास रुम में चाय	प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक प्रातः 9.00 बजे से प्रातः 9.30 बजे तक समय 3.30 बजे (क्लास में)	100 मि.ली. प्रति कप/प्रशिक्षणार्थी

नोट :-

- उपवास रखने वाले प्रशिक्षणार्थियों को एक समय का भोजन अथवा फलहारी भोज्य पदार्थ (लगभग 250 ग्राम) एवं 150 मि.ली. दूध दिया जावेगा।
- भोज्य पदार्थों के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल जैसे आटा शरवती का, चावल एच.एम.टी./दुबराज, दाल -तुअर, तले -सोयाबीन डब्ल फिल्टर एवं मसाले- एगमार्क के होना आवश्यक होगा।
- प्रत्येक रविवार को एक पाली में पूड़ी, खीर/मीठा भोजन के साथ देना अनिवार्य होगा।



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन

:: भाव दर पत्रक ::

'अ'- मेस संचालन हेतु भोज्य पदार्थ/ आहार की भाव दरें-

क्र	विवरण	दर (ऑनलाईन ही प्रस्तुत करें)
1	चाय -100 मि.ली.प्रति कप (दिन में 3 बार)	रुपये प्रतिदिन/प्रति व्यक्ति
2	नाश्ता एक बार सुबह	रुपये प्रतिदिन/प्रति व्यक्ति
3	भोजन (दो बार भरपेट)	रुपये प्रतिदिन/प्रति व्यक्ति

'ब'- मेस संचालन हेतु (माननीय संचालकों/अतिथियों के लिये भोजन की दरें)-

क्र	विवरण	दर (ऑनलाईन ही प्रस्तुत करें)
1	चाय	प्रति कप रुपये
2	नाश्ता (1) दो इडली (100 ग्राम) या (2) खम्मन ढोकला (100 ग्राम) या (3) दो समोसे, 50 ग्राम जलेबी (4) चार पूड़ी, सब्जियां या 2 पराठा आलू सादा दही	प्रति प्लेट रुपये
03	भोजन- दो बार (1) एक हरी सब्जी (2) एक पनीर सब्जी (3) रायता, पापड, सलाद, अचार (4) 5 रोटी, एक दाल फाई, चावल बासमती एक प्लेट (5) स्वीट डिश	प्रति थाली रुपये

मेरे द्वारा भाव पत्र में दी गई सभी जानकारी पढ़ी और समझ ली गई है। प्रपत्र 02 में दी गई समस्त शर्तें स्वीकार करते हुए निर्धारित प्रपत्र 06 में भाव दर प्रस्तुत कर रहा हूं।

स्थान:-	हस्ताक्षर:-
दिनांक:-	नाम:-
	वर्तमान पता:-
	स्थायी निवास का पता:-
	मोबाईल/दूरभाष नं.:-